

IV - 452



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 527641

I

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क- 1000/-रु0

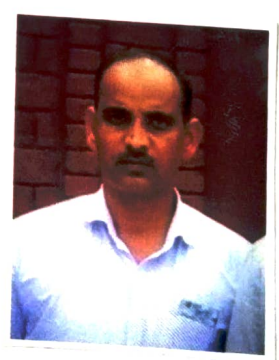
1. ट्रस्ट का नाम- बी0एल0 फाऊंडेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. पंजीकृत कार्यालय- ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम खेडा चौगानपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) में स्थित होगा
3. कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट का उद्देश्य-
 1. खेलकूल व विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व असहाय व गरीब खिलाड़ियों को उनका बेहत भविष्य बनाने में सहयोग देना।
 2. शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण संस्था व प्रशिक्षण संस्थान प्रावैधिक, वोकेशनल प्ले स्कूल प्राथमिक विद्यालय व तकनीकी शिक्षण संस्थान, उच्चतर विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ऑटो नोमस बोर्ड व डीम्ड विश्वविद्यालय आदि की स्थापना करना।

शतू

26 13 FEB 2019

रुपये देने का प्रमाण
रुपये लेता का नाम व पूरा पता
रुपये की कसरत
डौमप्रकाश शर्मा राज्य विक्रेता
सर्विस नम्बर 91/2003
सर्विस 10 नवीकरण की अवधि 31-03-2019
रुपये देने वाले का पता एवं निम्नलिखित
कार्यवाही केन्द्र नम्बर

श्री. एम. लालेश्वर 2003 डी.ए. कारा
श्री. एम. लालेश्वर 2003 डी.ए. कारा
श्री. एम. लालेश्वर 2003 डी.ए. कारा



3. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना तथा उनके संचालन हेतु मार्गदर्शन करना।
4. भूकम्प, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना व राहत सामग्री पहुँचाना।
5. गरीब, निर्धन कन्याओं के उचित शिक्षा, वैवाहिक संस्कार सम्पन्न कराना।
- स्वास्थ्य रक्षा हेतु अस्पताल, नर्सिंग होम, चल चिकित्सालय तथा दवा वितरण आदि करना एवं जनहित में स्वास्थ्य शिविर व जनकल्याणकारी कार्य करना व उनका संचालन करना।
7. उपरोक्त संस्थानों की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री संयुक्त अथवा अन्य पेरीफेरल्स इत्यादि को कय करना तथा स्थापित करना।
- जनहित में पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा आध्यात्मिक केन्द्रों का संचालन करना।
9. छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास/बोर्डिंग हाउस को स्थापित करना तथा संचालित करना।
10. सार्वजनिक हित में बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर संगोष्ठी आदि का आयोजन करना।
11. सरकारी अर्द्धसरकारी व निजी संस्थानों तथा व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त करना तथा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना व उपरोक्त उद्देश्यों के लिये संस्थान की सम्पत्ति को गिरवी रखना अथवा प्लेज करना।

शहू



न्यास पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 300

श्रीमती रीत,

पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार

व्यवसाय : अन्य

निवासी : ग्राम खेडा चौगानपुर जिला गोंदु नगर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/02/2019 एवं 02:43:00 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पुष्टि विलेख
नय विवेक शर्मा
गोतरी बंद नगर
शतपथ कामन्ति
कनिष्ठ नगरपालिका (नगर) - निर्यात



12. ट्रस्ट के संचालन हेतु दान आदि के अलावा शनाथ आश्रमां, वृद्धाश्रमां, विधवा आश्रम, मन्दिर एवं धर्मशालाओं व लघु उद्योगों विशेष कर महिला उद्योग की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

13. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहायता का आदान प्रदान करना व उनको समाहित करना।

14. ट्रस्टीज की सहमति से ट्रस्ट से सम्बन्धित सम्पत्तियों को विक्रय करना, लीज पर देना, किराये पर देना आदि।

15. मानव कल्याण एवं जनहित हेतु अन्य लोकोपयोगी कार्य करना।

16. पर्यावरण संरक्षण विकलांग कल्याण गोशाला एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिये कार्य करना।

5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना व चंदा, दान, ऋण अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व भूमि, भवन तथा चल अवल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण करना, व्यवस्थित करना, हस्तांतरण अथवा पट्टे या किराये पर लेना व बंधक रखना व अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तांतरण करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से अनुदान व ऋण प्राप्त करना।

6. सिलाई-कढ़ाई, बनाई, कटाई, हस्तशिल्प, पेन्टिंग, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर व टाइपिंग आदि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कियान्वित कर उन्हें स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाना।

शत

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्रीमती रीतू पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार

निवासी: ग्राम खेडा चौगानपुर जिला गौबुं नगर

व्यवसाय: अन्य

रीतू



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

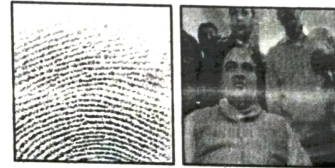
श्री सजीव कुमार शर्मा, पुत्र श्री गोचीचन्द शर्मा

निवासी: ग्राम गुलिस्तानपुर जिला गौबुं नगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

सजीव



श्री रोहताश कुमार, पुत्र श्री रामी

निवासी: ग्राम पाली जिला गौबुं नगर

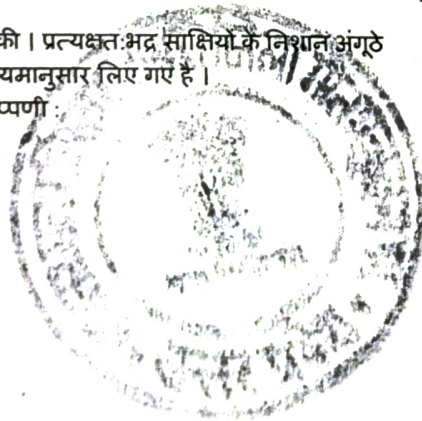
व्यवसाय: अन्य

रोहताश कुमार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:



पी0 के0 अस्थाना
उप निबंधक: दादरी
गौतम बुद्ध नगर

अनुपम मांगलिक.
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

7. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रादन कर कार्यक्रम संचालित करना व समाज के हितार्थ हेतु समय-समय पर लोगों को समाजिक न्याय एवं उत्थान एवं हेतु सम्भव कार्य करना व कार्यक्रम का संचालन करना।

8. पर्यावरण में फैले रहे प्रदूषण पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करना।

9. संगीत नृत्य व नाट्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन करना।

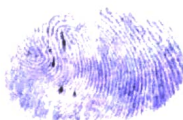
अतः श्रीमती रीतू पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेडा चौगानपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 8860445030 (आधार नं० 5389 0304 8753) वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। इस ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए क्षेत्र का सामाजिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना होगा।

मैं श्रीमती रीतू पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार फाउन्डेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, की स्थापना के निमित्त 11,000/-रु० प्रारम्भिक रूप में प्रदान करते हैं जो उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त संचित होगा।

पंजीकृत कार्यालय- ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय खेडा चौगानपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ०प्र० में स्थित होगा जो ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है ट्रस्ट के संचालन के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे।

क्र०सं०	नाम	पिता/पति/पुत्री का नाम	पद	स्थायी पता
1.	रीतू	पत्नी सतेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	ग्राम खेडा चौगानपुर, दादरी
2.	रिया	पुत्री सतेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष	ग्राम खेडा चौगानपुर, दादरी
3.	अशीष भाटी	पुत्र सतेन्द्र कुमार	प्रबन्धक	ग्राम खेडा चौगानपुर, दादरी
4.	तुषार भाटी	पुत्र सतेन्द्र कुमार	कोषाध्यक्ष	ग्राम खेडा चौगानपुर, दादरी

रीतू



1-ट्रस्ट में अध्यक्ष एवं प्रबन्धक आजीवन रहेंगे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनका पारिवारिक सदस्य ही उत्तराधिकारी होंगे व उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षता/अध्यक्ष होंगे।

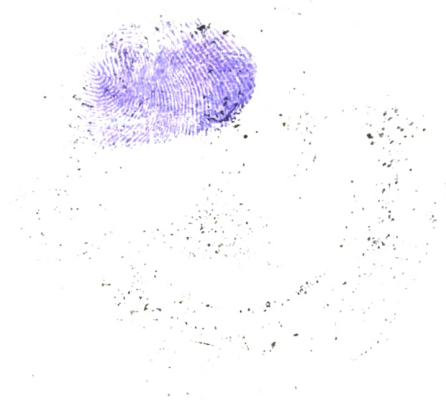
2-यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट छोड़ना चाहता है तो तीन महीने पूर्व नोटिस देगा। भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट में किसी भी अन्य व्यक्ति को सदस्य/ ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जा सकता है।

3-यदि कोई सदस्य ट्रस्ट से पृथक होना चाहे अथवा उसका स्वर्णवात हो जाये अथवा उपरोक्त ट्रस्ट होष सदस्यों/ट्रस्टी द्वारा उसे अक्षम अयोग्य घोषित कर दिया जाये तो वह व्यक्ति ट्रस्टी नहीं रहेगा। बोर्ड के सभी निर्णय सदस्यों/ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से लिये जायेंगे।

4-ट्रस्ट के कार्यों के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निर्णय सर्वसम्मति से किया जायेगा। ट्रस्ट बोर्ड उपर्युक्त तथा उचित समझने पर सम्बन्धित कार्यों के निर्वहन हेतु अपनी सहायता के लिए उपसमितियों तथा परामर्श दाता समिति का गठन कर सकता है और आवश्यकतानुसार बोर्ड सम्बन्धित समिति को निश्चित समय के लिए यथा सम्भव अधिकार भी दे सकता है।

5-ट्रस्टी बोर्ड ट्रस्ट के कार्यों हेतु नियम व उपनियमों की स्वयं ही रचना करेगा तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर उनमें परिवर्तन, परिवर्धन तथा संशोधन करने की शक्ति भी तय करेगा तथा उपरोक्त सभी को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उपरोक्त सभी प्रकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों को उचित भत्ता की व्यवस्था भी कर सकता है।

21/10



6-ट्रस्ट बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता, चाहे यह सहायता नकद अथवा चल-अचल, सम्पत्ति के रूप में हो, को स्वीकार कर सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर ट्रस्ट द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।

7-ट्रस्ट के कोष के लिए किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक व किसी अन्य निजी व प्राइवेट बैंक में खाता खोला जायेगा। यह खाता आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिए चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोला जा सकता है।

8-इन खातों का संचालन अध्यक्ष व प्रबन्धक दोनों ट्रस्टियों के हस्ताक्षरों द्वारा संचालित होंगे।

9-ट्रस्ट के धन को बैंक में इस प्रकार से जमा किया जायेगा कि समय-समय पर यथा संशोधन आयकर अधिनियम 1951 की धारा 11 की उपधारा 5 में स्पष्ट किये गये हैं। अन्य संस्थाओं को भी यथा सम्भव सहायता कर सकता है।

10-ट्रस्ट के सदस्यों की शंका की दशा में इस बात का विनिश्चय करने की शक्ति होगी कि क्या धन या सम्पत्ति की इस विलेख के प्रयोजन के लिए पूंजी या आय माना जाये अर्जित आय या पूंजी में से कोई व्यय या सर्व संदत या वहन किया जाना चाहिए तथा ऐसा प्रत्येक विनिश्चय आय देकर तथा निर्णायक होगा। किन्तु इसमें अन्विष्ट कोई भी बात ट्रस्ट के सदस्यों को इस विलेख द्वारा अप्रत्याधिकृत किसी प्रयोजन के लिए ट्रस्ट की आय या संग्रह की प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जायेगी।

11-इस विलेख के ट्रस्ट सदस्य तत्समय ट्रस्ट अथवा इस विलेख की शक्तियों के निष्पादन में या उसके बारे में किये गये सभी व्ययों की उनके पास की निधि या धन में स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकते हैं और अदायगी कर सकते हैं।

12-इस विलेख के तथा उन नियमों, विनियमों तथा उपविधियों, के जो समय-समय पर ट्रस्ट बोर्ड द्वारा बनाये जाये, उपबंधों के अधीन ट्रस्ट बोर्ड या उसकी कार्य पालिका समिति या कोई भी समिति या उपसमिति या कोई अन्य निकाय या उसका कोई भी पदाधिकारी या एक या एक से अधिक ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट का प्रबन्ध और प्रशासन चलायेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य और बातें करेंगे जो आवश्यक हों।

क-नकद या वस्तु के रूप में दान, अनुदान या अभिदान प्राप्त करना। नकद दान लेने के दशा व ट्रस्ट से सम्बन्धित अन्य सभी खर्चों में रसीद/स्लिप आदि पर धनराशि अंकित होगी व पूरा लेन-देन रिकार्ड सुरक्षित कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी व देखरेख में रहेगा व समय-समय पर ट्रस्टियों के सामने आवश्यकतानुसार दिखाया जायेगा।

रिक्त

ख-ट्रस्ट के किसी भी धन को जो उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों में या किसी अन्य रीति में जो समीचीन समझी जाये, विनियोजित करना और उसके सम्बन्ध में व्यवहार करना।

ग-इस विलेख के ट्रस्ट को चलाने के लिए कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शी या व्यक्तियों या अभिकर्ता या अटार्नी, जो वह आवश्यक समझें ऐसे पारिश्रामिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर वह उचित समझे, नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की कार्यान्वित करने के लिए ऐसे व्यय करने और इस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट के किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी सब शक्तियों से उन्हें विनिहत करना।

घ-न्यायालय में या उसके बाहर सब वाद कार्यवाहियों और अन्य कार्यवाहियों की संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना, समझौता करना और सब मतभेद और माँगें तय करना और ऐसे कोई या सब वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियाँ, मतभेद और माँगें मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखा का समायोजित और तय करना तथा उससे सम्बन्धित सब बातें करना।

च-ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति या सम्पत्तियों क्रय करना, किराये पर लेना, पट्टे पर लेना और निर्माण करना।

ज-ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उचित समझी जायें, धन उधार लेना और दायित्व करना और ऐसे ऋणों और हितों के लिए प्रतिभूति देने हेतु उसके सम्बन्ध में ऐसे करार, हस्तातरण पत्र विलेख और बातें करने के लिए प्राधिकृत करना।

छ-ट्रस्ट निधि का सत्समय भाग बनने वाली किसी अचल सम्पत्तियों में सुधार करने मरम्मत करने या परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति सहित ऐसी राशि में जो वह उचित समझें उसकी या उनकी व्यवस्था करना और किसी भी प्रकार के पट्टे मन्जूर करना या नवीनीकरण करना और पट्टी का अम्यपण स्वीकार करना।

ज-ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे ट्रस्ट निधि के तत्समय भाग बनने वाली किसी चल या अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विक्रय या उन्हें समनुदेशित करना और प्रयोजन के अनिवार्य या सहायक ऐसे सब काम करना जो आवश्यक हों।

13-किसी कठिनाई विवाद या मतभेदी दशा में इस ट्रस्ट के किन्हीं भी पांच ट्रस्टियों का निर्णय अन्तिम होगा, किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात् ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के उत्तराधिकारी को पदामिहित करेंगे और इस विलेख को लागू करने के सम्बन्ध में एवं ट्रस्टी इस विलेख के निर्वचन के बारे में किसी कठिनाई विवाद या मतभेद की दशा में उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

शत



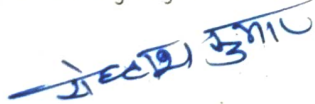
8

अतः हम अपनी स्वस्थ इन्द्रियो, नस्तिष्क व स्वस्थ चित्त रहते हुए अच्छी सोहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच-सझकर यह ट्रस्ट डीड लिख दी गयी है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

रात

गवाह-1 संजीव शर्मा पुत्र श्री  निवासी ग्राम गुलियारापुर जिला गौठु0 नगर

गवाह-2 रोहताश कुमार पुत्र श्री राणी निवासी ग्राम पाली जिला गौठु0 नगर



दिनांक- 14/02/2019 नसोदाकर्ता रविन्द्र शर्मा एडवोकेट जिला गौतमबुडुंगर



बही संख्या 4 जिल्द संख्या 150 के पृष्ठ 359 से 388 तक क्रमांक
452 पर दिनांक 14/02/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 अस्थाना
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
14/02/2019